



कार्यालय रांची निगम, रांची । बन्दोबस्ती की शर्तें ।

- 1 आवेदन पत्र दिनांक 09.11.2019 से 13.11.2019 तक 500/-रु0 जमा कर बाजार शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
- 2 बन्दोबस्ती 03 वर्ष 01.12.2019 से 30.11.2022 तक के लिए होगी। बन्दोबस्ती राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भुगतान करना होगा।
- 3 निर्धारित वार्षिक सुरक्षित जमा राशि से कम राशि वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया जायेगा।
- 4 निविदा में भाग लेने के वाले इच्छुक निविदादाता को जमानत की राशि के रूप में तालाब के नाम के सामने उल्लेखित जमानत की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट, (नगर आयुक्त, रांची निगम रांची के नाम से देय) जमा करना होगा। असफल निविदादाता को निविदा निष्पादनोपरान्त जमानत की राशि वापस लौटा दी जायेगी।
- 5 संवेदक का सहकारिता/उप सहकारिता विभाग से निबंधन/प्रशिक्षित होना आवश्यक है।
- 6 संवेदक का किसी प्रकार का कोई बकाया निगम कार्यालय या अन्य किसी कार्यालय में नहीं है शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करें।
- 7 संवेदक को सरकारी संस्था मत्स्य/अर्ध सरकारी संस्था एवं निगम के द्वारा काली सूची/रद्द कि सूची में नहीं डाले जाने संबंधी शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 8 उच्चतम डाक की राशि में जमानत की राशि समायोजित की जायेगी।
- 9 डाक राशि जमा नहीं करने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 10 बन्दोबस्तधारी को बन्दोबस्ती की राशि जमा करने के एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा करना होगा। संपादित एकरारनामा का निबंधन बन्दोबस्तधारी को स्वयं के खर्च पर कराना होगा।
- 11 एकरारनामा नहीं करने की स्थिति में बन्दोबस्ती रद्द कर पुनः खुला डाक किया जायेगा।
- 12 उच्चतम डाक वक्ता को मतस्य बीज की प्राप्ति का श्रोत से अवगत कराना होगा।
- 13 तालाब एवं इसके आस-पास क्षेत्रों में निर्मित संरचना का रख-रखाव एवं साफ-सफाई की जिम्मेवारी बन्दोबस्तधारी/सहयोग समिति की होगी।
- 14 यह हर संभव प्रयास किया जायेगा कि तालाब प्रदुषित नहीं हो। प्रदुषित पाये जाने पर नगर आयुक्त को जुर्माना लगाने का अधिकार होगा।
- 15 तालाब में आयोजित होने वाली पर्व-त्योहार को बाधित नहीं किया जाय।
- 16 किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार करनें का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

अपर नगर आयुक्त,
रांची निगम, रांची।

नगर आयुक्त,
रांची निगम, रांची।

